उद्योग के लिए अब जल्दी मिलेगी प्रदूषण से जुड़ी एनओसी

मुख्यमंत्री ने उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन को दी स्वीकृति, सभी जिलों में खुलेंगे बोर्ड के कार्यालय

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब प्रदूषण संबंधी अनापत्ति (एनओसी) जल्दी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एनओसी देने का समय घटाने के निर्देश दिए हैं। उद्योगों की श्रेणी के अनुसार एनओसी अब 120 दिनों के स्थान पर 40 दिन से लेकर 10 दिनों में मिल सकेगी। उद्यमियों के साथ ही आम जनता की सुविधा के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय अब सभी जिलों में खोले जाएंगे। मंडल स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में बोर्ड के 28 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन्हें 18 मंडलों में पुनर्गठित किया जाए। साथ ही सभी जिलों में कार्यालय खोले जाएं। इस निर्णय से प्रदेश में 65 कार्यालय और बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्योगों से संबंधित अनापत्ति आवेदन (सीटीओ/सीटीई) निस्तारण के समय को और कम करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लाल, नारंगी तथा हरी श्रेणी के उद्योगों के लिए अनापत्ति आवेदन का निस्तारण अभी 120 दिनों में किया जा रहा है। इनमें लाल श्रेणी के उद्योगों को 40 दिन, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 25 दिन व हरे श्रेणी के उद्योगों के लिए 10 दिनों में एनओसी का निस्तारण किया जाए। इस संबंध में बोर्ड आवश्यक तंत्र विकसित करे।

सरकारी आवास पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में बैठक करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ● सूचना विभाग

उद्योगों की श्रेणियां

लाल श्रेणी के उद्योग : इन उद्योगों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इनसे विषाक्त अपशिष्ट निकलता है। इन उद्योगों को सबसे सख्त जांच के दायरे में लाया जाता है। इनमें सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, आटोमोबाइल विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, चीनी, कागज और लुगदी, परमाणु ऊर्जा संयत्र, कार्बनिक रसायन, उर्वरक और पटाखे जैसे उद्योग आते हैं।

नारंगी श्रेणी के उद्योग: इन उद्योगों से मध्यम प्रदूषण होता है। इनमें अलमारी, ग्रिल निर्माण, स्क्रैप से एल्यूमीनियम और तांबा निकालना, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा, ईंट-भट्ठा, कोयला वाशरी, सूखी सेल बैटरी, उर्वरक, मछली चारा, मुर्गी चारा, फोम विनिर्माण, काच-सिरेमिक व मिट्टी के बर्तन, बड़ी बेकरी, वनस्पति तेल निर्माण जैसे उद्योग आते हैं।

हरे श्रेणी के उद्योग: इन उद्योगों से कम प्रदूषण होता है। इनमें एल्युमिनियम के बर्तन, आयुर्वेदिक औषधियां, छोटी बेकरी, पीतल व धातु के बर्तन, लकड़ी के फर्नीचर, कोल्ड स्टोरेज व बर्फ निर्माण, पीवीसी कपड़ों पर डिजिटल प्रिंटिंग, आटा चक्की, दाल मिल आदि उद्योग आते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1995 में गठन के बाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गतिविधियों, क्षेत्र व कार्य प्रकृति में व्यापक परिवर्तन आ चुका है। बदलते समय की आवश्यकताओं को देखते हुए इनमें बदलाव किया जाना चाहिए। पर्यावरण की नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर बोर्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता जताते हुए उन्होंने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मंडलों में औद्योगिक गतिविधियां अधिक हैं, वहां एक से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाए जा सकते हैं। नए दौर की पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए बोर्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, खतरनाक अपशिष्ट, ई-वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सेल का गठन किया जाए। इसी प्रकार, लोक शिकायत निवारण, अनुसंधान एवं विकास संबंधी अध्ययन, पर्यावरणीय जन-जागरूकता तथा प्रकाशन के लिए आइटी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए विशेष यूनिट का गठन भी किया जाए।

उन्होंने कहा कि बोर्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। बेहतर होगा कि आइआइटी आदि प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों के दक्ष युवाओं को अच्छे पैकेज पर नियुक्ति दी जाए। इस संबंध में नियमानुसार बोर्ड स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनापत्ति व सहमति शुल्क में वर्ष 2008 के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस संबंध में बोर्ड द्वारा गहन विचार-विमर्श कर आवश्यक परिवर्तन किया जाना चाहिए। बैठक में पर्यावरण एवं वन मंत्री डा. अरुण कुमार सक्सेना व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन डा. रविन्द्र प्रताप सिंह चौहान आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।